



सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बेंगलोर
MARATHAHALLI COLONY P.O.
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 1614/Type Approval No. 1614

मद/FOR ITEM: सॉलिड स्टेट क्रेश डाटा रिकॉर्डर (एसएससीडीआर)पार्ट सं. जीसी000000-आईएन20
Solid State Crash Data Recorder (SSCDR) Part No: GC000000-IN20

यह प्रमाणित किया जाता है कि एएसईआरडीसी, मेसर्स एचएएल, कोरवा - 227 412, उ.प्र द्वारा अभिकल्पित और विकसित तथा मेसर्स हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एवियोनिक्स प्रभाग, पी.ओ.एचएएल कोरवा, टेहसिल, अमेथी, उत्तर प्रदेश - 227 412 द्वारा उत्पादित “सॉलिड स्टेट क्रेश डाटा रिकॉर्डर (एसएससीडीआर)” पार्ट सं. जीसी000000-आईएन20 को असेम्ब्ली आरेखन सं. जीसी000000 इश्यू-के दिनांक 14/07/2008 और एमडीआई दस्तावेज सं. जीसी000000 इश्यू-एफ दिनांक 07/12/2009 के अनुसार एल सी ए (तेजस) के आईएन20 वर्जन में उपयोग हेतु उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। यह उत्पाद आर.सी.एम.ए (कोरवा) के समन्वय से नियंत्रक विनिर्देश सं. एडीए/एलसीए/4.4/सी/201, इश्यू-3, दिनांक अक्टूबर 2003 और क्यूटीपी दस्तावेज सं. जीसी000000-क्यूटीपी इश्यू ए2 दिनांक 27 मई 2004 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट‘ए’ में संलग्न वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to certify that the “Solid State Crash Data Recorder” (SSCDR) bearing the Part No. GC000000-IN20 designed & developed by ASERDC, M/s HAL, Korwa-227 412, U.P and manufactured by M/s Hindustan Aeronautics Limited, Avionics Division, P.O. HAL Korwa, Tehsil: Amethi, Uttar Pradesh-227 412, is hereby approved for production as per Assembly Drawing No. GC000000 Issue-K Dt.14/07/2008 & MDI DOC No. GC000000 Issue-F Dt. 07/12/2009 for use in IN20 Version of LCA (Tejas). The product has been tested as per Governing Specification No. ADA/LCA/4.4/C/201, Issue-3 Dt. Oct 2003 and QTP doc: No.GC000000-QTP Issue A2 dated 27th May 2004, in co-ordination with RCMA (Korwa). It has met the requirements as detailed in type record compliance statement enclosed at Appendix ‘A’.

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सुपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई गई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए।

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superceded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन **31 दिसम्बर 2015** तक वैध है बशर्ते कि इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाये और इसके बाद में इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ **आर.सी.एम.ए (कोरवा)**, द्वारा एचएए कोरवा - 227 412 से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to 31st Dec 2015 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Korwa), C/o HAL Korwa-227 412, for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

4. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रेकार्ड में इंगित एसओपी के अनुसार निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो **सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलेक)**, बंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or changes if any, in the SOP and declared to the performance indicated within the Type Record enclosed herewith are effected.

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए **डी.जी.ए.क्यू.ए.**, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष के क्लियरेंस निकासी एवं दर्शायी गई विधि के स्पष्ट रूप से कड़े अनुपालन पर आधारित है।

This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.

संलग्न/Encl : परिशिष्ट-‘ए’/Appendix-‘A’

सं/No. : सेमिलेक /CEMILAC/5070/ टी.ए/TA-1614

दिनांक/Date : 27 Dec 2010

फेक्स सं/Fax No: 080-25230856


(डॉ. के.तमिलमणि/ Dr. K.TAMILMANI)
विशिष्ट वैज्ञानिक /Distinguished Scientist
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता) /
Chief Executive (Airworthiness)



